संख्या-40/2016/708/26-3-2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 01 मार्च, 2016

विषयः- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में

महोदय,

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के **नियम-17** में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति** के गठन का प्राविधान किया गया है। यह समिति अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी राहत और पुनर्वास सुविधायें तथा उससे संबद्ध अन्य मामलों, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका आदि की नियमित समीक्षा करने हेतु अधिकृत है। इस समिति की बैठक 03 मास में कम-से-कम एक बार किये जाने की व्यवस्था नियमावली में की गयी है।

2- शासन के संज्ञान में यह आया है कि विगत वर्षों में *जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति* की बैठक समय से आहूत नहीं की जा रही है। यदि सभी जनपदों में प्रत्येक वर्ष उक्त समिति की 04 बैठकें आयोजित की जाय (जैसा नियम में प्राविधानित है), तो 01 वर्ष के दौरान प्रदेश में कम-से-कम 300 बैठकें आयोजित होनी चाहिए। आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं कि यह संख्या वास्तव में 50 प्रतिशत से भी कम है। इससे स्पष्ट है कि सामान्यतः जनपदों में उक्त समिति की बैठक वर्ष में 02 बार भी आयोजित नहीं की जा रही है।

3- इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा-156(3) के अंतर्गत मा, न्यायालय के निर्देश पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जहां वर्ष 2014 में कुल 1425 मुकदमे दर्ज किये गये वहीं वर्ष 2015 में यह संख्या बढ़कर 1635 हो गयी। इसमें हत्या, बलात्कार, बलवा जैसे संगीन अपराध भी सम्मिलित हैं। यह भी बताया गया है कि इस प्रकार दर्ज किये गये मुकदमों में लगभग 42 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल की गयी है। इससे प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध किये गये अपराधों कीप्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण थानों में पुलिस द्वारा दर्ज करने में कोताही बरती जा रही है। यह प्रवृत्ति नितांत असंतोषजनक है और जो लोकसेवक अपने कर्तव्यों का भली-भांति निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वह इस अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत दंडित किये जा सकते हैं। इसकी भी नियमित समीक्षा की जानी आवश्यक है।

4- शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि सामान्यतया इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की विवेचना समय से पूर्ण नहीं की जा रही है तथा पुलिस उपाधीक्षक द्वारा स्वयं विवेचना न करके अपने अधीनस्थ से विवेचना करायी जाती है और स्वयं हस्ताक्षरित किया जाता है, जो विधि सम्मत नहीं है। चार्जशीट दाखिल करने में भी औसतन लगभग 6 माह का समय लग रहा है। इसी प्रकार मा, न्यायालय में वादों के निस्तारण में भी विलंब हो रहा है। वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत सजा का प्रतिशत लगभग 30 है, जिसका मुख्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कारण गवाहों का पक्षद्रोही होना एवं विवेचना में महत्वपूर्ण कमियों का रहना है। यह आवश्यक है कि इस अधिनियम में पंजीकृत अपराधों की विवेचना **नियम-7** के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक द्वारा स्वयं की जाय तथा मा0 न्यायालय में अभियोग-पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने के पूर्व विशेष अभियोजन अधिकारी का भी परामर्श ड्राफ्ट अभियोग-पत्र पर प्राप्त कर लिया जाय तथा यदि कोई कमी परिलक्षित होती है, तो उसे समय से दूर कर अभियोग-पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाय।

5- इसी प्रकार इस अधिनियम में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। इस संबंध में शासन की ओर से निर्देश हैं कि बजट की अनुपलब्धता की दशा में ट्रेजरी रूल-27 के अंतर्गत धनराशि आहरित कर राहत की राशि पीड़ित व्यक्ति को समय से उपलब्ध कराया जाय तथा यथासमय बजट के आवंटन होने पर इस प्रकार आहरित अग्रिम की राशि का समायोजन किया जाय। इस व्यवस्था की भी नियमित समीक्षा कर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पीड़ित व्यक्ति को समय से राहत राशि उपलब्ध करायी जा रही है अथवा नहीं।

6- अतएव यह आवश्यक है किजिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरी समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में नियमित रूप से आयोजित की जाय तथा उपरोक्त मामलों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर स्थिति की समीक्षा की जाय। **अतः यह निर्देशित किया जाता है कि कैलेंडर वर्ष 2016 के प्रथम त्रैमास में उक्त समिति की बैठक अनिवार्य रूप से <u>दिनांक 31 मार्च के पूर्व</u> आयोजित कर ली जाय तथा उक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रति प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग को विलंबतम दिनांक 15 अप्रैल, 2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।** इसी प्रकार प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित की जाय। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक एक पोर्टल भी तैयार कर ली जायेगी, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी इस समिति की बैठक आयोजित किये जाने का विवरण तथा कार्यवृत्त की प्रति को अपने डिजिटल हस्ताक्षर से अपलोड कर सकेंगे। इसी प्रकार **नियम-17 क** के अंतर्गत उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित तहसील स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति की भी बैठक प्रत्येक त्रैमास में आयोजित कराना सुनिश्चित किया जाय तथा इसके कार्यवृत्त को भी उक्त समिति के सदस्य सचिव (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा उक्त पोर्टल पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर से अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

7- इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति (वादी) सरकारी खर्चे पर अपने पसंद के वकील को अभियोजन से संबद्ध करने की प्रार्थना कर सकता है। ऐसी प्रार्थना प्राप्त होने पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट शासन की स्वीकृति प्राप्त कर विशेष अधिवक्ता को शासकीय व्यय पर संबद्ध कर सकेंगे। इस प्राविधान की जानकारी पीड़ित व्यक्ति को देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

8- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी तथा समय से बैठक आयोजित न किये जाने पर इस समिति के सदस्य सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-40/2016/708/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
4. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0
5. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जांच प्रकोष्ठ, उ0प्र0
6. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, उ0प्र0
9. गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।